राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2295/2025

गिरधारी सिंह चारण

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.03.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 04.03.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा बीएलओ के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है, जो कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद द्वारा प्रदान की गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को पूर्व में आदेश दिनांक 01.01.2019 के द्वारा भी बूथ लेवल कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दी गयी थी। अपीलार्थी ने 6 वर्ष तक बीएलओ के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–6 रामलाल को आदेश दिनांक 28.01.2025 के द्वारा बीएलओ नियुक्त किया गया, परन्तु उक्त आदेश के 2 माह बाद ही रामलाल के स्थान पर पुनः अपीलार्थी को पुनः बीएलओ नियुक्त किया गया है। अपीलार्थी पूर्व में 6 वर्ष तक बीएलओ के रूप में कार्यरत रह चुका है। ऐसे में अपीलार्थी को पुनः बीएलओ के रूप में नियुक्त किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को बीएलओ नियुक्त किये जाने के कारण अपीलार्थी के विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। उनका यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से दो माह पश्चात ही अपीलार्थी को पुनः बीएलओ नियुक्त किया गया

है। अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या–16426/2024 सीताराम रैगर बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 08.10.2024 का हवाला दिया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अध्यापकों को बीएलओ के रूप में नियुक्ति दिये जाने के आदेश को स्थगित किया था। अपीलार्थी भी अध्यापक है। ऐसे में अपीलार्थी को भी बीएलओ के रूप में नियुक्त किया जाना उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)